

कृषि विषय में योग्यताधारी युवक/युवतियां
अपना स्वरोजगार स्थापित करें, ग्वालियर में निःशुल्क प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन पाएँ



प्रायोजक : **MANAGE - मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार का संगठन (मैनेज)**

आयोजक: **एमपीकॉन, लिमिटेड**



कृषि/उद्योग एवं संबंधित विषयों में योग्यता प्राप्त ऐसे युवक/युवतियां जो अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, को कृषि/उद्योग एवं संबंधित क्षेत्र में संभावित उद्योगों/व्यवसायों की जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें अपना उद्योग/स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक दो माह अवधीय कृषि आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम (Agri Entrepreneurship Development Programme), राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान **MANAGE**, के तत्वाधान में एमपीकॉन द्वारा **ग्वालियर** में निम्नानुसार आयोजित किया जाएगा-

कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण शुल्क:

नाम मात्र का रु. 500/-

कुल स्थान : 35
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:

कृषि विषय के साथ 12वीं/कृषि स्नातक/कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक /कृषि से संबंधित विषयों में स्नातक के साथ कृषि में डिप्लोमा आदि।

आयु: 18 वर्ष से अधिक

आवेदन की अंतिम तिथि :

18.12.2017

साक्षात्कार तिथि: 20.12.2017

चयन प्रक्रिया : साक्षात्कार के माध्यम से

प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्य

प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य कृषि विषय में योग्यताधारी व्यक्तियों को कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के उद्योग/व्यवसाय स्वरोजगार स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें अपना स्वयं का उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने हेतु सहयोग प्रदान करना है। प्रशिक्षण में मुख्यतया निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएंगे -

- मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में लघु एवं वृहद स्तर पर स्थापित किए जा सकने वाले विभिन्न संभावित उद्योगों/व्यवसायों की जानकारी।
- अपने लिए उपयुक्त उद्योग/व्यवसाय की चयन करने हेतु मार्गदर्शन।
- युवाओं को उनके उद्योग/व्यवसाय में सहायता प्रदान करने हेतु शासन द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाएँ तथा उनको लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया।
- अपने उद्योग/व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वयं बनाने हेतु मार्गदर्शन।
- अपने उत्पादों की मार्केटिंग प्रभावी रूप से करने हेतु मार्गदर्शन।
- क्षेत्र के आसपास चल रहे उद्योगों/व्यवसायों की कार्यप्रणाली के अवलोकन हेतु विभिन्न इकाईयाँ का भ्रमण।
- कृषि क्षेत्र की अद्यतन तकनीकी आधारित तकनीकी प्रशिक्षण।
- उद्योग/व्यवसाय की स्थापना/संचालन हेतु आवश्यक पंजीकरणों/स्वीकृतियों/लाइसेंस की जानकारी तथा इन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि।
- सफल उद्यमियों से परिचर्चा तथा उद्यमिता के क्षेत्र से संबंधित उनके अनुभवों की जानकारी।

प्रशिक्षण किन के लिए -:

- ऐसे युवक/युवतियां जो कृषि में 12वीं/स्नातक/डिप्लोमा प्राप्त हों।
- जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हों।

प्रशिक्षण का प्रकार एवं अवधि :

यह प्रशिक्षण पूर्णकालिक आवासीय होगा जिसमें कि प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने व भोजन की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की जावेगी तथा प्रशिक्षण की कुल अवधि दो माह होगी।

प्रशिक्षण में भाग लेने की प्रक्रिया:

अपने बारे में सामान्य जानकारी देते हुए पात्र एवं इच्छुक युवक/युवतियां अपना आवेदन दिनांक 18.12.2017 से पूर्व श्री आशीष भार्गव, (9425112299) या श्री अनीश शर्मा, (9425010643) से संपर्क कर सकते हैं।

कृषि आधारित :

यह प्रशिक्षण मुख्यतया कृषि उद्योगों से जुड़ी तकनीकियों एवं इनसे संबंधित अन्य आयामों पर केन्द्रित है। अतः प्रशिक्षण में इस क्षेत्र से संबंधित गहन जानकारी एवं एक्सपोजर दिया जाएगा तथा कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकी से अवगत करवाया जाएगा।

आवेदन की अंतिम तिथि : 18.12.2017

विस्तृत जानकारी व आवेदन हेतु संपर्क करें - **एमपीकॉन, लि., एच - 207, पटेल नगर, एस.पी. ऑफिस के पीछे,**

सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.), मोबा. 9425112299, 9425010643,